

कार्यालय आदेश

भारत सरकार द्वारा "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतिरोध) अधिनियम 2013" के अध्याय - 11 की धारा 4(1) के अनुसरण में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निम्नानुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम मय पदनाम	पदस्थापन स्थान	समिति में पद	मोबाइल नम्बर
1.	श्रीमती प्रीती शर्मा, प्रोग्रामर	DOIT&C, अलवर	अध्यक्ष	8696549772
2.	श्री रामजीवन, सहायक लेखाधिकारी प्रथम्	DOIT&C, अलवर	सदस्य	9414642273
3.	श्रीमती स्वाती खुराना, सहायक प्रोग्रामर	DOIT&C, अलवर	सदस्य	8209386610
4.	श्रीमती प्रीती शर्मा, सूचना सहायक	DOIT&C, उमरैण अलवर	सदस्य	7073071159
5.	श्रीमती मीनाक्षी चौहान, सूचना सहायक	DOIT&C, अलवर	सदस्य	9414416216

यह समिति विभाग में यौन उत्पीड़न की शिकार कामकाजी महिलाओं की शिकायतों का निवारण/क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी-

- सभी शिकायतों को एक स्थायी रजिस्टर में अंकित कर उसका लेखा-जोखा रखना।
- प्रत्येक शिकायत के निवारण संबंधी विवरण को संक्षेप में रजिस्टर में अंकित करना।
- प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना।

peety

(नीतू बसवाल)

एसीपी (उपनिदेशक)

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
कलक्ट्रेट, अलवर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, अलवर।
2. श्रीमान् संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान।
3. उपनिदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, अलवर।
4. सम्बन्धित कार्मिक।
5. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
6. समस्त कार्मिक (मय ब्लॉक) कार्यालय हाजा।
7. कार्यालय प्रति।

peety

एसीपी (उपनिदेशक)